

वन विभाग हरियाणा
कार्यालय:- उप वन संरक्षक, यमुनानगर
दूरभाष 01732-237821

क्रमांक: 1490
सेवा में,

दिनांक: 25-09-2020

मुख्य वन संरक्षक उत्तरी परिमण्डल
अम्बाला शहर।

विषय:- Diversion of 0.1145 hac.(2544 Meters) of Forest land for laying OFC of JIO Digital Fibre Pvt. Ltd. Ground Floor, Reliance House RK4 Square, Building No 4, DLF Ciber City, Phase II, Gurugram, Haryana 12202, From Between Electricity Board to HSEB Quarters (164 Meters) toward Kanaiya Sahib Chowk, From Opp Spring Field School to House No. 345, Aadharsh Nagar (1580 Meters) and from Kamani Chowk to Kanaiya Sahib Chowk (800 Meters) Total Length of Route is 2544 Meters (0.1145 Ha.) under Forest Division and District Yamuna Nagar.
Online Proposal No. FP/HR/OFC/47270/2020

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि JIO Digital Fibre Pvt. Ltd. Ground Floor, Reliance House RK4 Square, Building No 4, DLF Ciber City, Phase II, Gurugram, Haryana द्वारा इस वन मण्डल के अधीन From Between Electricity Board to HSEB Quarters (164 Meters) toward Kanaiya Sahib Chowk, From Opp Spring Field School to House No. 345, Aadharsh Nagar (1580 Meters) and from Kamani Chowk to Kanaiya Sahib Chowk (800 Meters) in District Yamuna Nagar रोड के साथ-2 ऑप्टिकल फाइबर लाईन बिछाने का कार्य किया जाना है। इस कार्य में वन विभाग की 0.1145 है० वन भूमि का उपयोग किया जाएगा। इस केस में कोई भी वृक्ष बाधक नहीं है। यूजर एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 की उल्लंघना नहीं की गई है।

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय चण्डीगढ़ के पत्र क्रमांक 9-1263/2001-ROC दिनांक 30.12.2004 तथा FC-11/165/2019-FC दिनांक 27.07.2020 के द्वारा दी गई हिदायतों अनुसार भूमिगत केबल लाईन बिछाने हेतु प्रस्ताव में जहां पर विभागीय वृक्ष प्रभावित नहीं होगा ऐसे प्रस्ताव में यूजर एजेंसी से प्रतिपूर्ति पौधारोपण हेतु राशि प्राप्त नहीं की जायेगी।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय चण्डीगढ़ के पत्र क्रमांक F.No.5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 के द्वारा एन०पी०वी० की राशि लेने पर भी छुट प्रदान की जा चुकी है।

अतः यूजर एजेंसी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत दिये गए प्रपत्रों, साईट प्लान, निरीक्षण रिपोर्ट इत्यादि की प्रतियां पत्र के साथ सलग्न आगामी आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है।

सलग्न/ उपरोक्त


उप वन संरक्षक
यमुनानगर।